अति अल्पकालीन निविदा सूचना

सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग–10, लखनऊ के पत्र संख्या–1039/1–10–2018–33 (35)/2018 दिनांक 20 अप्रैल, 2018 के क्रम में जनपद झांसी के अन्त्योदय परिवारों में से जिनकी आजीविका प्राकृतिक आपदा (सूखा) से प्रभावित हुई है, ऐसे परिवारों को प्रति परिवार निम्नवत् खाद्य सामग्री उच्च गुणवत्ता की उपलब्ध करायी जानी है :–

क्रम	खाद्यान्न एवं राहत सामग्री का विवरण	मात्रा
1	आटा	15 किग्रा
2	आलू	25 किग्रा
3	चने की दाल	05 किग्रा
4	सरसों का तेल	03 ली0
5	शुद्ध देशी घी (पराग)	01 किग्रा
6	मिल्क पाउडर (पराग)	01 किग्रा
7	आयोडीन युक्त नमक	01 किग्रा

निविदा कार्यालय जिलाधिकारी झांसी में दिनांक 02 मई, 2018 को सायंकाल 5:00 बजे तक स्वीकार की जायेगी एवं 03 मई, 2018 को समय 11.00 बजे तकनीकी बिड, जो ऑनलाईन जिलाधिकारी कार्यालय, झाँसी में जिला आपदा राहत समिति के समक्ष खोली जायेगी। तकनीकी बिड में पात्र निविदादाता की फाईनेन्शियल बिड उसी तिथि में अपरान्त 03:00 बजे खोली जायेगी। अन्य निविदा की नियम व शर्तें विस्तृत रूप से वेबसाइट http://etender.up.nic.in एवं http://jhansi.nic.in पर देखी जा सकती है।

(शिव सहाय अवस्थी)
जिलाधिकारी झांसी

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

संख्या : 26/मु0रा0आ0–03(13)/दै0आ0/टैण्डर/2018–19 दिनांक :25 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि : 1–सम्पादक, दैनिक अमर उजाला/दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान झांसी को इस आशय से कि उक्त निविदा सूचना न्यूनतम दरों व स्पेस में स्थानीय प्रकाशन कराकर भुगतान हेतु बिल दैवीय आपदा कार्यालय कलैक्ट्रेट झांसी में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को इस आशय से कि उक्त निविदा सूचना जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

3– समस्त तहसीलदार, जनपर झाँसी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।

4–नाजिर सदर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

25/04/18

(शिव सहाय अवस्थी)
जिलाधिकारी झांसी

कार्यालय जिलाधिकारी झांसी

संख्या : २७ / मु0रा0आ0–03(13) / दै0आ0 / टैण्डर / 2018–19 दिनांक :२५ अप्रैल, 2018

(निविदा की नियम व शर्तें)

1. यह निविदा सूचना एवं प्रपत्र वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। साथ ही यह विज्ञप्ति जनपद झाँसी की वेबसाइट http://jhansi.nic.in पर उपलब्ध है।
2. खाद्यान्न आपूर्ति पंजीकरण प्रमाण–पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र, वाणिज्यकर विभाग द्वारा प्रदत्त TIN/G.S.T प्रमाण–पत्र एवं विगत तीन वर्षों के बैलेन्स शीट / आई.टी.आर. / टर्नओवर, जो न्यूनतम 05.00 करोड़ के होने चाहिए। सभी प्रपत्रों की छायाप्रति एवं ऑनलाईन उपलब्ध करानी होगी।
3. निविदादाता द्वारा विभागीय मूल्य / लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश संख्या–622 / 23.12.2012–2ऑडिट / 08टीसी–2, दिनॉक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक न्यूनतम दरें डाले जाने पर 0.50 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक न्यूनतम दरों पर एक प्रति प्रति एक प्रतिशत कम दर पर परफोर्मेंस गारण्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरान्त आपूर्ति आदेश निर्गत किये जायेंगे। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
4. धरोहर धनराशि 02 प्रतिशत (अर्नेस्ट मनी) रु0 10.00 लाख, जो एन.एस.सी. / एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस / राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत प्रतिभूति के रूप में जिलाधिकारी झाँसी के पक्ष में बन्धक होना अनिवार्य है। इसकी स्कैन कॉपी ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदा / आपूर्ति में पात्र ठेकेदार / फर्म को आदेश निर्गत होने से पूर्व अवशेष 8 प्रतिशत जमानत की धनराशि जमा करनी होगी।
6. निविदा खोले जाने के समय निविदादाताओं द्वारा तकनीकी बिड (समस्त प्रपत्र) के लिफाफे के साथ–साथ आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यान्न का एक सेट / सैम्पल समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिससे समिति द्वारा गुणवंत्ता पर विचार किया जा सके।
7. निविदा स्वीकृत होने पर फर्म / संस्था को आपूर्ति आदेश निर्गत होने के तीन दिवस में खाद्यान्न की आपूर्ति करनी होगी। समय से खाद्यान्न की आपूर्ति न करने पर फर्म / संस्था की धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा आर्डर निंरस्त कर दिया जायेगा।
8. निविदा / आपूर्ति में पात्र ठेकेदार से इस आशय का एक घोषणा–पत्र लिया जायेगा कि उनके द्वारा उक्त आपूर्ति को सबलैट (किसी अन्य के माध्यम से) नहीं किया जायेगा।
9. आलू, दाल, आंटा, आयोडीन युक्त नमक उच्च गुणवत्ता पूर्ण एवं तेल, शुद्ध देशी घी, मिल्क पाउडर, ब्राण्डेड होने चाहिये। आलू को पृथक से एवं आटा, चने की दाल, शुद्ध देशी घी, सरसों का तेल, मिल्क पाउडर एवं आयोडीन युक्त नमक एक गत्ते के पैकेट में रख कर आपूर्ति की जायेगी।
10. जनपद के लगभग 25000 सूखे से प्रभावित परिवारों हेतु लगभग 25000 खाद्यान्न सामग्री के पैकेट क्रय किए जायेंगे जिनकी संख्या आवश्यकतानुसार कम / ज्यादा भी हो सकती है। जिसमें किसी भी प्रकार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
11. खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति जनपद की तहसीलों / यथानिर्धारित स्थलों पर करना होगा। इस हेतु होने वाला परिवहन व्यय संस्था / फर्म को स्वयं वहन करना होगा।

12. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में भुगतान होने पर नियमानुसार टी0डी0एस0 एवं अन्य नियमानुसार कटौती की जायेगी।

13. आपराधिक रिकार्ड तथा भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा काली सूची में डाले गए निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। इस आशय का शपथ पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

14. निविदा प्रक्रिया हेतु निविदादाताओं द्वारा अपने से सम्बन्धित सामान्य जानकारी रु0 100/- के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। PAN व TAN नम्बर भी अंकित किए जाएं।

15. आपूर्तिकर्ता फर्म को खाद्यान्न सामग्री बांटने का विगत 3 वर्षों में किसी भी एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

16. विवाद की स्थिति में मा0 न्यायालय झाँसी में वाद विचारणीय होंगे।

17. बिना कारण बताए निविदा जिलाधिकारी झांसी द्वारा निरस्त की जा सकती है।

18. किसी अन्य जानकारी के लिए कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

25/04/18

(शिव सहाय अवस्थी)
जिलाधिकारी झाँसी